मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 5 अगस्त 2022

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खंड	विषयवस्तु	पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	विनियमन	2
III.	भुगतान और निपटान प्रणाली	2
IV.	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	3
V.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
VI.	वित्तीय बाजार	3
VII.	वित्तीय समावेशन और विकास	3
VIII.	आरबीआई प्रकाशन	3
IX.	आरबीआई बुलेटिन	4
X.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2022 महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5 अगस्त 2022 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.65 प्रतिशत हो गई है।

- एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन और पर्यवेक्षण; (ii) वित्तीय बाजार; और (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1) *वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मास्टर निदेश:*

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर), गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सहकारी बैंकों को वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन पर विभिन्न दिशानिर्देश/ निदेश जारी किए हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों को अद्यतन और सुसंगत बनाने, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और समाविष्ट करने के साथ-साथ आरई को संदर्भ हेतु एक ही स्थान पर वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से संबंधित सभी वर्तमान दिशा-निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए, शीघ्र ही, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम और आचार संहिता का प्रबंधन) निदेश, 2022 का मसौदा जारी करने का प्रस्ताव करता है। इन निदेशों के दायरे का विस्तार, आरआरबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ऋण सूचना कंपनियों और गैर-अनुसूचित भुगतान बैंकों को भी शामिल करने के लिए किया जा रहा है।

2) *रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के अंतर्गत ऋण सूचना कंपनियों को शामिल करना और आंतरिक लोकपाल तंत्र का विस्तार करना:*

आरबी-आईओएस को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को भी आरबी-आईओएस 2021 के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है, जो सीआईसी के विरुद्ध शिकायतों के लिए आरई के ग्राहकों को एक लागत मुक्त वैकल्पिक निवारण तंत्र प्रदान करेगा। इसके अलावा, सीआईसी के आंतरिक शिकायत निवारण को मजबूत करने और इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए, सीआईसी को आंतरिक लोकपाल ढांचे के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया गया है।

II. वित्तीय बाज़ार

3) *एकल (स्टैंडअलोन) प्राथमिक व्यापारी - अनुमत गतिविधियों के दायरे में विस्तार*

एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को सीमित उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार करने की अनुमति है। प्राथमिक व्यापारी कारोबार का संचालन करने वाले बैंकों के समान, एसपीडी की भूमिका को मजबूत करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन, वर्तमान में श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमत सभी विदेशी मुद्रा बाज़ार-निर्माता सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसपीडी को सक्षम बनाया जाए।

4) *एकल प्राथमिक व्यापारियों को अपतटीय विदेशी मुद्रा सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप बाजार में लेनदेन करने की अनुमति देना*

यह निर्णय लिया गया है कि फेमा, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत प्राधिकृत एसपीडी को अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ सीधे विदेशी मुद्रा सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप लेनदेन करने की अनुमति होगी।

5) *मुंबई अंतर बैंक एकमुश्त दर बेंचमार्क संबंधी समिति*

रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के साथ माइबोर आधारित डेरिवेटिव संविदाओं का उपयोग बढ़ गया है। एक वैकल्पिक बेंचमार्क में परिवर्तन की आवश्यकता सहित माइबोर बेंचमार्क दर की

गहन जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

6) *सीमापारीय आवक बिल भुगतान को प्रसंस्कृत करने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना*

अनिवासी भारतीयों को भारत में अपने परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सीमा पार से आवक भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। इससे बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर इंटरऑपरेबल तरीके से शामिल किए गए किसी भी बिलर के बिलों के भुगतान में भी लाभ होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित एमपीसी की 37वीं बैठक 3 से 5 अगस्त 2022 के दौरान आयोजित की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने एमपीसी की बैठक के बाद चौदहवें दिन इस बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

केंद्रीय बोर्ड की 597वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 597वीं बैठक 26 अगस्त 2022 को जयपुर में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उप गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक यथा, श्री सतीश के. मराठे, श्री एस. गुरुमूर्ति, सुश्री रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया।

बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के समग्र प्रभाव सहित वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों की समीक्षा की।

केंद्रीय बोर्ड के गैर-सरकारी निदेशक

केंद्र सरकार ने श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में, दिनांक 11 अगस्त 2022 से अगले चार वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुनर्नामांकित किया है।

केंद्र सरकार ने सुश्री रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी को, दिनांक 18 सितंबर 2022 को उनका वर्तमान कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में, चार वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुनर्नामांकित किया है।

II. विनियमन

बैंक दर में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत तक संशोधित करने की घोषणा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015

रिज़र्व बैंक ने 4 अगस्त 2022 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत तुरंत प्रभाव से भारतीय रिज़र्व बैंक स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 में संशोधन किए। उप-पैरा 2.2.2.(vii) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: 'केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 5 नवंबर 2016 से नामित बैंकों को, अगली नोटिस प्राप्त होने तक, नए एमएलटीजीडी के लिए योजना के तहत जुटाए गए स्वर्ण की राशि के समकक्ष भारतीय रुपए के 1.5% की समान दर पर हैंडलिंग प्रभार (स्वर्ण की शुद्धता परीक्षण, शोधन, परिवहन, भंडारण और किसी भी अन्य प्रासंगिक लागत सहित) और 1% की दर से कमीशन का भुगतान किया जाएगा। जमा राशि के नवीनीकरण के मामले में, चूंकि बैंक द्वारा शुद्धता परीक्षण, शोधन, परिवहन, भंडारण और बीमा आदि पर कोई खर्च नहीं उठाया जाएगा, नामित बैंकों को नवीनीकरण की तिथि पर स्वर्ण की राशि के समकक्ष भारतीय रुपए के 1% की दर से निश्चित कमीशन उनके प्रशासनिक और खाता रखरखाव लागत के लिए दिया जाएगा'। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त 2022 को विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया कि उनके द्वारा आउटसोर्स की गई गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और वे वसूली प्रतिनिधियों सहित अपने सेवा प्रदाताओं की कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार हैं। रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देशों के दायरे का विस्तार करते हुए और अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ताओं को फोन पर कॉल करने के घंटों को सीमित करते हुए आरई को अतिरिक्त निर्देश जारी किए। अतः, आरई सख्ती से सुनिश्चित करेंगे कि वे या उनके एजेंट अपने ऋण वसूली के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर देश में 90 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों की सूची जारी की थी। रिज़र्व बैंक ने 22 अगस्त 2022 को बैंकों को भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर 70 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संशोधित सूची का पालन करने हेतु सूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता

रिज़र्व बैंक ने 8 अगस्त 2022 को निर्णय लिया कि सभी अनुसूचित लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी), प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के रूप में परिचालन को कम से कम दो वर्ष पूरा करने के बाद, पात्रता मानदंडों के अनुपालन के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

व्यवसाय के नए स्थान-जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2022 को व्यवसाय के नए स्थान/एटीएम की स्थापना के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा आवेदन जमा करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया के विवरण के साथ दिशानिर्देश जारी किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र

रिज़र्व बैंक ने 17 अगस्त 2022 को जनता के फीडबैक के लिए 'भुगतान प्रणालियों में प्रभार' पर एक चर्चा पत्र जारी किया। भुगतान सेवाओं के लिए उचित शुल्क सुनिश्चित करने हेतु, भुगतान प्रणालियों में लगाए गए विभिन्न प्रभारों की व्यापक समीक्षा करने और हितधारकों के फीडबैक प्राप्त करने पर विचार करना आवश्यक समझा गया। प्राप्त फीडबैक का उपयोग नीतियों और मध्यक्षेप कार्यनीतियों को निर्देशित करने के लिए किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प-प्रतिबंध

रिज़र्व बैंक ने 24 अगस्त 2022 को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर संतोषजनक अनुपालन के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया। दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 2022 को घोषणा की कि रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) पर लागू होगी ताकि सीआईसी के विरुद्ध शिकायतों के लिए आरबीआईओएस 2021 के तहत लागत मुक्त वैकल्पिक शिकायत निवारण हेतु एक अवसर प्रदान किया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति

रिज़र्व बैंक ने 1 अगस्त 2022 को निर्णय लिया कि स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार की 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि की सीमा को बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि कर दिया जाए और ईसीबी के लिए समग्र लागत सीमा को 100 आधार अंकों से बढ़ाया जाए। बढ़ी हुई समग्र लागत सीमा केवल भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) से निवेश ग्रेड रेटिंग के पात्र उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय निवेश) विनियमन, 2022

रिज़र्व बैंक ने 22 अगस्त 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय निवेश) विनियमन, 2022 जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 22 अगस्त 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा (समुद्रपारीय निवेश) निदेश, 2022 भी जारी किया, जिसमें नए नियमों और विनियमों को लागू करने हेतु परिचालन निर्देशों का विवरण शामिल है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. वित्तीय बाजार

चलनिधि समायोजन सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा दर और सीमांत स्थायी सुविधा दर तत्काल प्रभाव से क्रमशः 5.15 प्रतिशत और 5.65 प्रतिशत हो गई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश

रिज़र्व बैंक ने 8 अगस्त 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के खण्ड 45यू के साथ पठित अधिनियम की धारा 45डब्ल्यू के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश जारी किए जिसके तहत फेमा, 1999 की धारा 10(1) के तहत भारत में प्राधिकृत एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) अनिवासी भारतीयों के साथ-साथ अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों और पात्र एसपीडी के लिए विदेशी मुद्रा निपटान एकदिवसीय इंडेक्सड स्वैप (FCS-OIS) प्रदान करने के लिए पात्र होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. वित्तीय समावेशन और विकास

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं

रिज़र्व बैंक ने 1 अगस्त 2022 को अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) को ऋण सुविधाओं पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया, जिसमें इस विषय पर जारी कई दिशा-निर्देशों/निर्देशों/परिपत्रों को समेकित किया गया है। परिपत्र को विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 2 अगस्त 2022 को अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में एक मास्टर परिपत्र जारी किया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इस विषय पर जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों/निदेशों को समेकित किया गया है। परिपत्र को विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. आरबीआई प्रकाशन

आरबीआई वर्किंग पेपर

रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2022 में अपनी वर्किंग पेपर शृंखला के तहत दो प्रकाशन प्रकाशित किए।

i) पहला वर्किंग पेपर जिसका शीर्षक "आधार दर और एमसीएलआर व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत में मौद्रिक संचारण: एक तुलनात्मक अध्ययन" है, का लेखन साधन कुमार चट्टोपाध्याय और अर्घ्य कुसुम मित्र ने किया है।यह पेपर आधार दर और निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) व्यवस्थाओं के तहत बैंक उधार दरों पर मौद्रिक नीति के प्रभाव अंतरण की डिग्री का अनुमान लगाता है। अध्ययन का अनुमान है कि नीतिगत रेपो दर में 100 आधार अंक परिवर्तन से, आगे चलकर बैंकों द्वारा स्वीकृत नए रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दर में, एमसीएलआर व्यवस्था के अंतर्गत - मॉडल विशिष्टता के आधार पर 26-47 आधार अंक परिवर्तन होता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ii) दूसरा वर्किंग पेपर जिसका शीर्षक "भारत में एसएमई विनिमय: फर्म के गुण और आईपीओ विशेषताओं का प्रायोगिक विश्लेषण" है, का लेखन श्रोमोना गांगुली ने किया है। यह अध्ययन, कम मूल्य (अंडरप्राइसिंग), पश्च बाजार चलनिधि और दीर्घावधि के असामान्य रिटर्न के संदर्भ में, भारत में एसएमई विनिमयों की कतिपय विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। एसएमई विनिमयों में सूचीबद्ध फर्मों में अन्य गैर-सूचीबद्ध एसएमई और मेनबोर्ड में सूचीबद्ध छोटी फर्मों की तुलना में लाभप्रदता, चलनिधि और आस्ति उपयोग अनुपात अधिक है। बाजार में तेजी की अवधि से पहले एसएमई आईपीओ का मूल्य कम है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकास अनुसंधान समूह अध्ययन

रिज़र्व बैंक ने 19 अगस्त 2022 को अपनी वेबसाइट पर "भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता" शीर्षक से विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) अध्ययन जारी किया। अध्ययन के सह-लेखक रचिता गुलाटी, सुनील कुमार, एस. चिंनगैहलियन, राजेंद्र रघुमान्डा और प्रबल बिलंतू है। यह अध्ययन एक विस्तृत अनुसंधान दृष्टिकोण को अपनाता है और डायनेमिक पैनल डेटा मॉडल का

उपयोग करके विभिन्न पृथक्करण स्तरों पर भारतीय बैंकिंग उद्योग में सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता के बीच गठजोड़ का अनुभवजन्य रूप से पता लगाता है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों के बारे में पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. आरबीआई बुलेटिन

आरबीआई बुलेटिन – अगस्त 2022

रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2022 को अपने मासिक बुलेटिन का अगस्त 2022 का अंक जारी किया। बुलेटिन में, मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2022-23, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 3-5 अगस्त 2022, दो भाषण, छः आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। छः आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण: एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य; III. अस्थिर समुद्र में स्थिर जहाज: हाल के समय में एनबीएफसी क्षेत्र का विश्लेषण; IV. भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक समय में निगरानी; V. निजी कॉरपोरेट निवेश: 2021-22 में वृद्धि और 2022-23 के लिए संभावना; और VI. उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर अस्थिरता।

I. *अर्थव्यवस्था की स्थिति*

वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं कुछ धूमिल हुई हैं। आपूर्ति शृंखला में दबावों का सुधरना और पण्यों की कीमतों में हालिया गिरावट, रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति से कुछ राहत प्रदान कर रहे हैं। भारत में आपूर्ति की स्थिति सुधर रही है। त्यौहारी मौसम की शुरुआत और बुवाई गतिविधि में तेजी से उपभोक्ता मांग, जिसमें ग्रामीण उपभोक्ता भी शामिल हैं, बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के मजबूत पूंजीगत परिव्ययों से निवेश गतिविधि को बल मिल रहा है। मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन इसका ऊँचे स्तरों पर बने रहना, आगे चलकर प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने हेतु, समुचित नीतिगत कार्रवाई की मांग करता है।

II. *सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण: एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य*

यह आलेख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण के पक्ष और विपक्ष के कुछ तर्कों का मूल्यांकन करता है।

प्रमुख बिन्दु:

ए) निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) लाभ इष्टतमीकरण में अधिक कुशल हैं, वहीं पीएसबी ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बेहतर प्रदर्शन किया है।
बी) पीवीबी की तुलना में पीएसबी में श्रम लागत दक्षता अधिक है।
सी) पीएसबी द्वारा ऋण दिया जाना पीवीबी की तुलना में कम प्रचक्रीय है।
डी) निजीकरण के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया क्रमिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि वित्तीय समावेशन के सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने में कोई रिक्तता उत्पन्न न हो।

III. *अस्थिर समुद्र में स्थिर जहाज: हाल के समय में एनबीएफसी क्षेत्र का एक विश्लेषण*

यह आलेख वर्ष 2021-22 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है।

प्रमुख बिंदु:

ए) एनबीएफसी क्षेत्र के समेकित तुलन-पत्र ने दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में दोहरे अंकों की संवृद्धि प्रदर्शित की।
बी) एएए/एए- रेटेड एनबीएफसी बॉण्डों के स्प्रेड के बीच का अंतर जनवरी 2021 से कम होना शुरू हुआ, जो इस क्षेत्र में बाजार में बढ़ते विश्वास का संकेत है।
सी) एनबीएफसी ने औद्योगिक क्षेत्र को अधिकतम ऋण देना जारी रखा जिसके बाद खुदरा और सेवा क्षेत्र रहा।

IV. *भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक समय में निगरानी*

यह आलेख अर्थव्यवस्था में नवीनतम घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए साप्ताहिक गतिविधि सूचकांक बनाने का प्रयास करता है, जो हैं (i) 7-संकेतकों वाला साप्ताहिक गतिविधि सूचकांक (डब्ल्यूएआई) और (ii) एक 15-संकेतकों का साप्ताहिक प्रसार सूचकांक (डब्ल्यूडीआई)।

प्रमुख बिंदु:

ए) डब्ल्यूएआई नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करने की संभाव्यता रखता है।
बी) डब्ल्यूएआई का 4-सप्ताह और 13-सप्ताह का गतिमान औसत (एमए) आईआईपी और जीडीपी वृद्धि का प्रारंभिक तात्कालिक अनुमान प्रदान करता है।

V. *निजी कॉरपोरेट निवेश: 2021-22 में वृद्धि और 2022-23 के लिए संभावना*

यह आलेख नई परियोजनाओं में प्रगति का आकलन प्रदान करता है।

प्रमुख बिन्दु:

ए) कोविड-19 महामारी में कमी आने के बाद 2021-22 के दौरान नई परियोजनाओं की घोषणा में काफी वृद्धि हुई।
बी) अवसंरचना क्षेत्र ने अधिकतम पूंजीगत व्यय को आकर्षित करना जारी रखा जिसमें 'विद्युत' तथा 'सड़क और पुल' क्षेत्र आगे रहे।
सी) 2021-22 में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की कुल पूंजीगत व्यय योजना में वृद्धि दर्ज की गई।
डी) 2021-22 के दौरान परिकल्पित कुल पूंजीगत व्यय निवेश में से एक तिहाई से अधिक के वर्ष 2022-23 में व्यय किए जाने की संभावना है।

VI. *उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर अस्थिरता*

इस आलेख में 2007 से अमेरिकी डॉलर की तुलना में चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में विनिमय दर की अस्थिरता का विश्लेषण किया गया है, जिसमें उच्च अस्थिरता की प्रमुख घटनाएँ शामिल हैं।

प्रमुख बिन्दु:

ए) जीएफसी के बाद उच्च अस्थिरता वाली स्थितियों में चुनिंदा ईएमई मुद्राओं का एक समान भारित निहित अस्थिरता सूचकांक नीचे रहा है।
बी) किसी भी स्पष्ट/अंतर्निहित पूर्व निर्धारित लक्ष्य/बैंड के संदर्भ के बिना भारतीय रुपया (आईएनआर) के विनिमय दर अस्थिरता को नियंत्रित करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है जैसा कि विभिन्न मापदंडों जैसे कि रीयलाइज्ड अस्थिरता, अस्थिरता शंकु और अंतर्दिवसीय दायरे (इंट्राडे रेंज) में परिलक्षित होता है।
सी) 2007-2021 के दौरान आईएनआर की अस्थिरता प्रत्याशाएं भी कम हो गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. जारी आंकड़े

अगस्त 2022 के महीने में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र सं	शीर्षक
1.	भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े: जून 2022
2.	ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के आंकड़े: जून 2022
3.	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण: जुलाई 2022
4.	मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण: जुलाई 2022
5.	पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण –77वें चक्र का परिणाम
6.	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश: जुलाई 2022
7.	एससीबी की जमा और ऋण राशियों पर तिमाही सांख्यिकी: जून 2022
8.	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन: जुलाई 2022

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।